

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल।**

Phone No.- 05946-248396

email:- eerwdntl@gmail.com

पत्रांक 1105 / ग्रा0नि0वि0/मु0म0घोषणा/2023-24 दि0 23.08.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन-प्रभाग,
हल्द्वानी।

विषय:- गौजाजाली में ऑवला चौकी गेट मुसकान केन्द्र के समीप क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण कार्य हेतु 0.063 हे0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग, को गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 5283/12-1 दि0 28.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव को एक Non-Sitte-Specific प्रकरण होने के कारण आरक्षित वन क्षेत्र में स्थापित करना आवश्यक नहीं है, एवं उक्त प्रस्ताव हेतु गैर वानिकी क्षेत्र के चयन के लिये अन्य कोई प्रयास भी नहीं किये गये।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1704/ ग्रा0नि0वि0/04-प्रा0/2022-23 दि0 28.03.2023 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को अवगत कराते हुए उचित दिशा-निर्देश मांगे गये। जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा पत्र सं0 134/12-ज्येड0ए0सी0 दिनांक 26.04.2023 के क्रम में उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी को गैर वानिकी क्षेत्र में कार्यशाला हेतु भूमि चयन कर विधिवत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक-174/12-ज्येड0ए0सी0 /2022-23 दिनांक 16.05.2023 के क्रम में उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को कार्यशाला हेतु वन भूमि के संबंध में जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधित पक्ष एवं जिलाधिकारी कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय को उक्त संबंधित प्रकरण पर जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी।

तदोपरान्त श्री संजय पाण्डे, जन सेवा समिति गौजाजाली, हल्द्वानी के जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2023 के द्वारा ग्राम गौजाजाली बिचली तहसील हल्द्वानी में क्रियाशाला हेतु वन भूमि चिन्हित करने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय नैनीताल, द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 334/12-ज्येड0ए0सी0/2023-24 दि0 23. जून 2023 के माध्यम से संयुक्त निरीक्षण आख्या हेतु आपको, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी एवं अधोहस्ताक्षरी को नामित करते हुए उक्त प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण आख्या चाही गयी। जिसके क्रम में दिनांक 26.06.2023 को क्रियाशाला निर्माण हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में नामित सदस्यों द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी महोदय को आख्या उपलब्ध करायी गयी।

जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं0/693/12-ज्येड0ए0सी0/2023-23 दिनांक 22.08.2023 के क्रम में उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार,
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- (1) वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
- (2) जिलाधिकारी, नैनीताल।

o/c

भवदीय
अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्र सं 693 / 12-ज्येड0ए0सी0 / 2023-24

दिनांक 22-8-2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन -प्रभाग,
हल्द्वानी।

विषय:- गौजाजाली में ऑवला चौकी गेट मुस्कान केन्द्र के समीप क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण कार्य हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग, को गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यालय उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी के पत्रांक-733/आर0ए0/2022-23 दिनांक 21.07.2023 द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराई गयी है। संयुक्त निरीक्षण आख्या से प्रतीत होता है कि उक्त कार्य हेतु राजस्व भूमि आबादी के समीप होने के कारण उपयुक्त नहीं है। क्रियाशाला हेतु ऑवला चौकी मुस्कान केन्द्र के बायी ओर लगभग 01 बीघा अर्थात् 0.063 है0 भूमि उपयुक्त पायी गयी है, जो कि वृक्ष विहीन है। आबादी से दूर होने के कारण उक्त वन भूमि पर क्रियाशाला का निर्माण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वन भूमि हस्तांतरण हेतु अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-नैनीताल।

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, नैनीताल।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

विषय— गौजाजाली बिचली क्षेत्र में क्रियाशाला निर्माण कार्य के स्थल विशिष्ट (Site Specific) होने के संबंध में एवं वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त विकल्प न होने के संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सहित आख्या।

श्री संजय पाण्डे जन सेवा समिति गौजाजाली हल्द्वानी द्वारा जिलाधिकारी महोदया के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2023 पर जिलाधिकारी महोदया के कार्यालय आदेश संख्या 334/12-ज्येड.ए.सी./2023- 2024 दिनांक 23 जून, 2023 के अनुपालन में दिनांक 26 जून, 2023 को क्रियाशाला निर्माण हेतु भूमि के चयन के संबंध में नामित सदस्यों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान श्री के. के. जोशी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल, श्री संजय कुमार, तहसीलदार हल्द्वानी, श्री अनिल जोशी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी एवं श्री अंकित कुमार अपर सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग उपस्थित रहे। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैं:-

सर्वप्रथम गौजाजाली बिचली क्षेत्र में क्रियाशाला निर्माण हेतु माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में उपयुक्त राजस्व/सार्वजनिक भूमि की तलाश की गयी। ग्राम गौजाजाली उत्तर से उत्तर दिशा की ओर राजस्व ग्राम हल्द्वानी खास स्थित है, जो नॉन ज्येड.ए. ग्राम है। जिसमें नॉन ज्येड.ए. के खेवट खाता संख्या 2 नाम मालिकान नजूल जैरे इन्तजाम पब्लिकवर्क डिपार्टमेण्ट कब्जे पुलिस व कब्जे म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम भूमि दर्ज है, जिसमें क्रियाशाला निर्माण हेतु कही भी कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। राजस्व नक्शे की प्रति संलग्न है।

2- उक्त क्रियाशाला, ग्राम गौजाजाली उत्तर, गौजाजाली दक्षिण, गौजाजाली बिचली (वार्ड नम्बर 57, 58, 59 व 60) व बरेली रोड एवं गौलापार के कई ग्रामों यथा कुंवरपुर किशनपुर, नवाडखेडा, बसन्तपुर, देवला तल्ला, देवला मल्ला, जगतपुर आदि क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु/दाह संस्कार के पश्चात धार्मिक क्रियाकर्म को संपादित करने हेतु प्रयोग में लाये जाने हेतु प्रस्तावित है। उक्त ग्रामों के ग्राम प्रधानों/क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा क्रियाशाला निर्माण हेतु महोदया को संबोधित पत्र/ज्ञापन इस कार्यालय के पत्र संख्या 715/आर.ए. /2022-2023 दिनांक 18 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं।

3- इस संपूर्ण क्षेत्र की आबादी लगभग 50 हजार से अधिक है तथा इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु/दाह संस्कार के पश्चात किये जाने वाले क्रियाकर्म हेतु वर्तमान में कोई क्रियाशाला उपलब्ध नहीं है।

4- प्रस्तावित क्रियाशाला हेतु वन भूमि के समीप राजस्व ग्राम गौजाजाली उत्तर, गौजाजाली दक्षिण व गौजाजाली बिचली अवस्थित है। इन ग्रामों में राजस्व/सरकारी भूमि या तो उपलब्ध नहीं हैं अथवा आबादी के समीप स्थित है। हिन्दू धर्म में दाह संस्कार के पश्चात किये जाने वाले धार्मिक क्रियाकलापों को आबादी क्षेत्र से दूर किये जाने की प्रथा प्रचलित है। यह क्षेत्र घनी आबादी के रूप में विकसित हो चुका है तथा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। नगर निगम के इस क्षेत्र के पूर्व की ओर वन विभाग की भूमि स्थित है तथा वन विभागकी भूमि समाप्त होने के उपरान्त गौलापार के उपरोक्त ग्राम है। (गूगल मैप की प्रति संलग्न है।) क्रियाशाला हेतु प्रस्तावित भूमि नगर निगम के वार्ड संख्या 57, 58, 59, 60 एवं गौलापार के मध्य में स्थित हैं, जिसका उपरोक्त क्षेत्रों द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सकता है।

July
AA-E

Sanjay
EERWS
26/06/23

Sanjay


Sanjay

Sanjay


5- उपरोक्तानुसार उल्लिखित ग्राम/क्षेत्र, जिनके द्वारा इस क्रियाशाला का उपयोग किया जाना है, क्रियाशाला हेतु प्रस्तावित वन विभाग की भूमि के मध्य में स्थित हैं एवं आबादी से दूर होने के कारण क्रियाशाला निर्माण हेतु सर्वथा उपयुक्त है। सुलभ संदर्भ हेतु राजस्व नक्शे व गूगल मैप की प्रति संलग्न है। क्रियाशाला निर्माण हेतु आंवला चौकी मुस्कान केन्द्र के बायी ओर लगभग 1 बीघा अर्थात 0.063 हे. भूमि उपयुक्त पायी गयी, जो वृक्ष विहीन है।

इसके साथ ही गूगल मैप पर उपलब्ध राजस्व भूमि को भी चिन्हित किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपलब्ध राजस्व भूमि आबादी के समीप होने के कारण उपयोग में लाए जाने हेतु उपयुक्त नहीं है उपरोक्तानुसार वर्णित क्षेत्रों में निवासरत वृहद आबादी के उपयोग हेतु वन विभाग की भूमि पर ही क्रियाशाला निर्माण किया जाना एकमात्र विकल्प उपलब्ध है।


अतः वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव मय संलग्नको के संस्तुति सहित सेवा में सादर प्रेषित है।


(अंकित कुमार)


अपर सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, हल्द्वानी।


(अनिल जोशी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।


(संजय कुमार)

तहसीलदार
हल्द्वानी।


(के. के. जोशी)

अधिशायी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड, नैनीताल।



(मनीष कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी,
हल्द्वानी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी।

पत्रांक :- 733/आर.ए./2022-2023 दिनांक 21 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि :-

- 1- जिलाधिकारी महोदया नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।



(मनीष कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी,
हल्द्वानी।

प्रतिहस्ताक्षरित


(वन्दना)


जिलाधिकारी,
नैनीताल।

Untitled Map

Write a description for your map.

Legend

- Amra chokki
- HP PETROL PUMP - SATAT?
- Police Chowki, Amra
- Vespa/Aprilia Service center



Google Earth

© 2023 Airbus

1000 ft

Untitled Map

Write a description for your map



Legend

- Arnia chokki
- HP PETROL PUMP - SATAT?
- Police Chowki, Arnia
- Vespa/Aprilia Service center

Google Earth

400 ft

Untitled Map

Write a description for your map

Legend


- Amra chokki
- HP PETROL PUMP - SATAT?
- Police Chowki, Aawra
- Vespa/Apnika Service center



Untitled Map

Write a description for your map






विभागात द्वारा क्षेत्र क्षेत्र

हनुमान नगरी

हनुमान नली

जवाहर



गोजा जाती वसुंधरा

हनुमान नली

कारनामा	
परती जमीन	
बंजर	
भाषा	1200 10
कृषि	111
जंगल	300
व्यापार	
कुल	
अन्य	
कुल	

क्षेत्र 145/150 मीटर	

1-1-1971
 महाराज, सिवाई श्रीकांत
 नैनीताल

हनुमान नली
 जवाहर

क्षेत्र 150/150

क्षेत्र 150/150

क्षेत्र 150/150
 क्षेत्र 150/150
 क्षेत्र 150/150




हनुमान नगरी

विभागा द्वारा खरीद करीब

हनुमती तली

जवाहर



नौका जाली बहिरा

हरी पर पुरानान

कारनामी	
परके तहसील	...
बंगला	...
बागडिहा	1200 75
बहिरा	111
बन	111
बगवा	...
बुल	...
मंडक	...
गडद	...
गडद जाली	...

...	...
...	...
...	...
...	...

महायाग, रिवाज, नौका जाली

...

...

□ - सरकारी बगवानी

...



राज्यीय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

राज्यीय वन परिषद, जल रोड, सीतापुर, हरियाणा, जिला नैनीताल
E-mail: office_wra@rediffmail.com, Phone: 0596-251109, Fax: 0596-256298

सेवा में,

पत्रांक 5283/12-1 हल्द्वानी, दिनांक 28/03/2023

अधिशायी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड, नैनीताल।

विषय:-

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत गौजाजाली में आबला चौकी गेट-मुस्कान केन्द्र के समीप क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 हे० वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8बी/यू.सी.पी./09/08/2023/एफ.सी./1583 दि०-16.02.2023।

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त यह अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव एक non-site-specific प्रकरण होने के कारण आरक्षित वन क्षेत्र में स्थापित करना आवश्यक नहीं है। एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव को आरक्षित वन भूमि में स्थापित करने का सही औचित्य भी प्रस्ताव में नहीं दर्शाया गया है। उक्त प्रस्ताव हेतु गैर वानिकी क्षेत्र के चयन के लिये अन्य कोई प्रयास भी नहीं किये गये हैं।

अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त विषयक परियोजना हेतु गैर वानिकी भूमि के अन्य विकल्पों के लिये जिलाधिकारी नैनीताल से विचार-विमर्श/दिशा निर्देश उपरान्त अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 5283/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
2. जिलाधिकारी नैनीताल।

(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून - 248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू.सी.पी./09/08/2023/एफ.सी. 11583

दिनांक: 16/02/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद - नैनीताल के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुआ के अंतर्गत गौजाजाली में आंबला चैकी गेट-मुस्कान केन्द्र के समीप क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/Others/155392/2022)

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के पत्र सं० 1675/
FP/UK/Others/155392/2022 दिनांक 12-01-2023
महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयीं। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनाएँ प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. On perusal of the proposal, it is found that the purpose of the project is not clear. State Govt. has not provided the justification regarding locating the project in the forest land. No efforts have been made to find an alternative land in non-forest area. Further, being a non-site-specific case, such infrastructures cannot be allowed on Reserve Forest. Hence, the State Govt. is requested to explore non-forest land for the said purpose.

भवदीय,

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे) 16-2-23

सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

Received
24/02/2023

जन सेवा समिति, गौजाजाली

बरेली रोड, हल्द्वानी। जिला - नैनीताल

5 APR 2023

पत्रांक : ...63

दिनांक : 10.03.2023

सेवा में
श्रीमान अजय भट्ट जी
माननीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री
भारत सरकार नई दिल्ली
महोदय

प्रभारी
कृते जिलाधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी
नैनीताल
आपा के विषय में
12.3.23

कार्यालय नैनीताल
-495
दिनांक 21.3.23

विषय:- गौजाजाली विचली क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा अर्न्तगत क्रियाशाला हेतु **अजय भट्ट AJAY BHATT** पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री

उक्त विषयक योजना हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से **भूमि खोजी** के निकट 0.63 हेक्टेयर भूमि आवंटन की समस्त राज्य स्तरीय औपचारिकताओं को पूरा करके भारत सरकार को अंतिम सहमति हेतु प्रस्ताव भेजा गया था। भारत सरकार वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अपने पत्रांक 8/वी/यू. सी. पी/09/08/2023/1583 दिनांक 16.02.23 के अनुसार आपत्ति लगाई गयी कि इस योजना हेतु पहले कोई भूमि अन्वेषण नहीं खोजी गई इस क्रम में राज्य सरकार/ जिला अधिकारी नैनीताल से आख्या मांगी गई है।

5

इस क्रम में सूच्य है कि जनसेवा समिति गौजाजाली के द्वारा एवम् शासन द्वारा अन्यत्र भूमि खोजी गई लेकिन कही भूमि उपलब्ध न होने के कारण यह वन भूमि जो एन एच से लगी पेड विहिन भूमि है को खोजा गया एवम् स्थानीय वनाधिकारियों द्वारा इस भूमि कि नाप की गई। इस के बनने से इस भूमि में व वन भूमि में अतिक्रमण होने से बचाव हेतु दिवार जैसा काम हो सकेगा साथ ही यह योजना स्थानिय लगभग 1500 घरों हेतु लाभदायक होगी और इतनी जनता के हित को देखते हुए जनसेवा समिति गौजाजाली विचली एवम् स्थानीय जनता आपसे विनम्र अनुरोध कारती है कि आप भारत सरकार के स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से इस आपत्ति का निराकरण करवाने कि कृपा करें साथ ही राज्य स्तर पर भी आने वाली समस्या का निदान करवाकर इस क्षेत्र की जनता को कृतार्थ करने कि कृपा करें।

इस हेतु हमारी समिति एवं जनता आपकि सदैव आभारी रहेगी।

धन्यवाद

भवदीय

जन सेवा समिति गौजाजाली

संजय पाण्डे
सुपरिविजिलेंस-युवा
जिला नैनीताल
विधि माग लेने के लिए
विचली वाली रास हल
9917207100

अध्यो सचिव काप

नवीन चन्द्र दुम्का
पूर्व विभागाध्यक्ष-लखनऊ
स्वर्ण निवार, जयगढ़ खीना
हल्द्वीप नैनीताल, 9412017266

16/10/03/2023

जिलाधिकारी महोदय नैनीताल
जनपद-नैनीताल

महोदय,

गौजाजाली उत्तर व बिचली गौजाजाली की घनी आवासीय आवादी की प्रमुख समस्या मृतक के दाह संस्कार के उपरांत क्रिया कर्म हेतु एक क्रियाशाला निर्माण की घोषणा मा. मुख्यमंत्री घोषणा दि. 8/2021 में की गयी थी कार्यदायी संस्था RWD को बनाया गया तथा आंकलन पर धन आवंटन भी हो गया।

महोदय आंवला चौकी गेट व उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर के मध्य बसे हुए इन दो गाँवों में आवास है तथा यह NH-109 के पश्चिम में राजस्व गाँव है जहाँ पर कहीं भी क्रियाशाला हेतु सरकारी/गैर सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी।


NH-109 की दूसरी तरफ पूर्वी तराई वन प्रभाग है जो कि लगभग 2KM लम्बी बस्ती के समानान्तर है।

चूँकि क्रियाशाला एक अनिवार्य मानवीय अनुष्ठान है, अतः मुस्कान केंद्र-वन निगम आंवला चौकी गेट के पास वन भूमि में इसे 0.083 है० भूमि में बनाने हेतु घोषणा कराई गयी, इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अब

1. DFO पूर्वी तराई के अधिशाषी अभियंता RWD को पत्रांक सं. 5283/12/ दि. 28/02/2023 के द्वारा सहायक महानिरीक्षक वन- 16/2/23 8-B/UCP- का 09/08/23 FC/1583 सन्दर्भ लेकर भूमि के विकल्प तथा यहीं पर बनाए जाने के ठोस आधार नहीं दिए जाने बावत भेजा है।

प्रतिलिपि श्रीमान को भी प्रेषित की है। इस बावत अपने स्तर से कार्यवाही की कृपा करें। उपरोक्त दोनों पत्र संलग्न है।


नवीन चन्द्र दुम्का
नवीन चन्द्र दुम्का
स्वर्ण निवार, जयगढ़ खीना
हल्द्वीप नैनीताल, 9412017266

Aomlcl 24C

20
जिलाधिकारी
नैनीताल

29 MAR 2023

संख्या 3358 दिनांक 03/04/23

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-नैनीताल।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

पत्रांक 1704 / या0नि0वि0 / 04-प्रा0 / मा0मु0मं0घो0 / 2022-23

दि 28-03-2023

विषय:-

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत गौजाजाली में ऑवला चौकी गेट-मुस्कान केन्द्र के समीप क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 हे० वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के कार्यालय पत्रांक 5283/12-1 हल्द्वानी/दि० 28.02.2023 के अवलोकन करने का कष्ट करें, (छायाप्रति संलग्न) जो कि अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत केन्द्रीय तराई वन प्रभाग गौजाजाली में आवला चौकी गेट-मुस्कान केन्द्र के वगल में क्रियाशाला संस्कार स्थल निर्माण हेतु 0.063 हे० वन भूमि में गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव non-site-specific होने के कारण आरक्षित वन क्षेत्र में स्थापित करने अथवा गैर वानिकी भूमि के अन्य विकल्पों के लिये उक्त प्रकरण पर आपके स्तर से दिशा निर्देश उपरान्त आख्या चाही गयी है।

इस क्रम में अवगत करना है कि उक्त वर्णित योजना मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 78/2021 के द्वारा स्वीकृत है। जिसके अन्तर्गत स्थानीय निवासियों एवं जनहित को देखते हुए चिन्हित की गयी भूमि का दिनांक 24.06.2021 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें सम्वन्धित सहायक अभियन्ता, सहित वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे, (छायाप्रति संलग्न) उक्त चयनित स्थल आबादी के नजदीक है, तथा इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में क्रियाशाला हेतु कोई और स्थान उपलब्ध नहीं है।

अतः महोदय से निवेदन है कि कार्य की महत्ता को देखते हुए उचित दिशा-निर्देश देने की कृपा करें, तथा गैर वानिकी क्षेत्र में उक्त कार्यशाला हेतु भूमि चयन की कार्यवाही के लिये सम्वन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड नैनीताल।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार,

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(01)- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

(02)- वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड-नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या 134/12-ज्येड०ए०सी०/2022


दिनांक 26 अप्रैल, 2023


उप जिलाधिकारी,
हल्द्वानी।

विषय:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत गौजाजाली में
ऑवाला चौकी गेट-मुस्कान के समीप क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है०
वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल द्वारा
अपने कार्यालय पत्रांक 1704/ग्रा०नि०वि०/04-प्रा०/मा०मु०मं०घो०/2022-23 दिनांक 28.03.2023 से
अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत केन्द्रीय तराई वन प्रभाग गौजाजाली
में आवला चौकी गेट-मुस्कान केन्द्र के बगल में क्रियाशाला संस्कार स्थल निर्माण योजना मा० मुख्यमंत्री
घोषणा संख्या 78/2021 के द्वारा स्वीकृत है। उक्त क्षेत्र में क्रियाशाला हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है।

अतः उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि गैर वानिकी क्षेत्र में उक्त
कार्यशाला हेतु भूमि चयन कर विधिवत प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी नैनीताल।

2001

कृ० आर० दे०।


HLD

R. N. - 2857

RSJ/RI
कृ० आर० दे०।


THR
HLD
03/05/2023

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक-174 / 12-ज्येड.ए.सी./2022-23

दिनांक 16 मई, 2023

उपजिलाधिकारी,
हल्द्वानी।

विषय- गौजाजाली बिचली क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत क्रियाशाला हेतु वन भूमि के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष एवं अन्य, जन सेवा समिति, गौजाजाली, हल्द्वानी का सामूहिक हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2023, जो श्री अजय भट्ट जी, मा. रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली को सम्बोधित है, में मा. रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली के पृष्ठांकन दिनांक 12.03.2023 का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त प्रार्थना पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि जनसेवा समिति गौजाजाली एवं शासन द्वारा अन्यत्र भूमि खोजी गई, लेकिन कहीं भूमि उपलब्ध न होने के कारण यह वन भूमि जो एन.एच से लगी पेड विहिन भूमि है, को खोजा गया एवं स्थानीय वनाधिकारियों द्वारा इस भूमि की नाप की गई। इस भूमि में वन भूमि में अतिक्रमण होने से बचाव हेतु दीवार जैसा काम किया जा सकता है जिससे इस योजना से स्थानीय लगभग 1500 घरों हेतु लाभ होगा। प्रार्थीगणों द्वारा जनता के हित को देखते हुए भारत सरकार के स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं जिला स्तर पर भी आने वाली समस्या का निदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र मूल में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि प्रश्नगत प्रकरण में जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधित पक्ष एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी, नैनीताल।

2107
राक्षसलकर
हल्द्वानी
कृ० जांचोपरान्त निष्पत्ति
कापवाही करे।

R 11.- 3018

SDM
HLD

TSI/21
कृषि निष्पत्ति
ग्राहक के आवाज
TSI
Tel: 11
22/05/2023

कार्यालय तहसीलदार हल्द्वानी, जिला नैनीताल

पत्रांक 1176/सहा0ना0/2023

दिनांक 06.06.2023

सेवा में,

उपजिलाधिकारी

हल्द्वानी

विषय: गौजाजाली बिचली क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा अन्तर्गत क्रियाशाला हेतु वन भूमि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक 174/12-ज्येड ए०सी०/2022-23 दिनांक 16 मई 2023 पर अपने पृष्ठांकन आदेश संख्या 2107 जो कि गौजाजाली बिचली क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा अन्तर्गत क्रियाशाला हेतु वन भूमि के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में राजस्व उप निरीक्षक चांदनी चौक द्वारा जांच आख्या प्राप्त की गयी। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा गौजाजाली बिचली तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल में मा० मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत क्रियाशाला हेतु वन भूमि के सम्बन्ध में जांच की गयी। पत्र के साथ जनसेवा समिति गौजाजाली रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल द्वारा मा० अजय भट्ट जी मा० रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित पत्र भी संलग्न है। प्रार्थना पत्र में अवगत कराया है कि जन सेवा समिति गौजाजाली एवं शासन द्वारा अन्यत्र भूमि खोजी गयी लेकिन कहीं भूमि उपलब्ध न होने के कारण यह वन भूमि जो कि एन.एच. से लगी पेड़ विहीन भूमि है, को खोजा गया एवं स्थानीय वनाधिकारियों द्वारा इस भूमि की नाप की गयी। इस भूमि में, वन भूमि में अतिक्रमण होने से बचाव हेतु दीवार जैसा काम किया जा सकता है। जिससे इस योजना से स्थानीय लगभग 1500 घरों को लाभ होगा। उक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त उल्लेखित भूमि वन भूमि है जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण वन विभाग का है। उक्त क्रियाशाला के निर्माण से स्थानीय जनता को अत्यधिक लाभ होगा। अतः उक्त क्रियाशाला के निर्माण हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु वन विभाग को निर्देशित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की है।

अतः मा० मुख्यमंत्री घोषणा अन्तर्गत क्रियाशाला निर्माण हेतु प्रस्तुत वन भूमि पर ही अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व उप निरीक्षक की आख्या मूल में संलग्न कर सादर सेवा में प्रेषित।

भवदीय,


तहसीलदार
हल्द्वानी

MS
2023

मोहन सिंह बिष्ट

विधायक

56 लालकुआँ विधानसभा

पत्रांक 1169/13/06/2023



मध्य विधान सभा
उत्तराखण्ड

ग्राम-हल्द्वौड़ जग्गी

पोस्ट-हल्द्वौड़

लालकुआँ (नतीताल)

विभाग XXXIII मो० 9412085381

रजिस्टर सं० 30 (VI)

फाईल नं० 03

दिनांक 09/06/2023

पत्र संख्या

21/6/23

कलकत्ता

11/BA
13/06/23

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।

विषय- हल्द्वौड़ व गौजाजाली में प्रस्तावित क्रियाशालाओं में लगायी गयी आपत्तियों के सम्यन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ लेना चाहेंगे, जिसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लालकुआँ के हल्द्वौड़ एवं गौजाजाली में 0.126 हेक्टेयर भूमि पर एक-एक क्रियाशाला विगत तीन वर्षों से प्रस्तावित है जिसमें विभाग द्वारा लगायी गई आपत्तियों के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि जनहित में हल्द्वौड़ व गौजाजाली में प्रस्तावित क्रियाशालाओं का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने का कष्ट करेंगे।

21/6/23
(विधायक)

आयुक्त (कृषि/क)

हल्द्वौड़ निहाल

(गुस्कर सिंह धानी)
मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड

संख्या-VIC(M)/A/269
दिनांक 13/06/2023

13/06/2023
Re-I
49 V.I.P
1496



00240

अपर जिलाधिकारी
नैनीताल

कार्यालय उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी।

पत्रांक- 174 / आर.ए. / 2022-2023 दिनांक 16 जून, 2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।कार्यालय जिला अधिकारी नैनीताल
पत्रांक 2392 दिनांक 19.6.23

विषय :- गौजाजाली बिचली क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा अन्तर्गत क्रियाशाला हेतु वन भूमि के संबंध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक महोदय के कार्यालय पत्रांक 174/12-ज्येड.ए.सी./2022-2023 दिनांक 16 मई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में तहसीलदार हल्द्वानी से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार हल्द्वानी द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 1176/सहा.ना./2023 दिनांक 06.06.2023 के माध्यम से आख्या प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार हल्द्वानी द्वारा प्रस्तुत आख्या में उल्लिखित हैं कि, ग्राम गौजाजाली बिचली तहसील हल्द्वानी में मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत क्रियाशाला हेतु वन भूमि के संबंध में जन सेवा समिति गौजाजाली एवं वन भूमि जो कि एन.एच. से लगी वृक्ष विहीन भूमि हैं, को खोजा गया एवं स्थानीय वनाधिकारियों द्वारा इस भूमि की नाप की गयी। इस भूमि वन भूमि में अतिक्रमण होने से बचाव हेतु दीवार जैसा काम किया जा सकता है, जिससे इस योजना से लगभग 1500 स्थानीय घरों को लाभ प्राप्त होगा। उक्त उल्लिखित भूमि वन भूमि हैं जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण वन विभाग का है। उक्त क्रियाशाला के निर्माण से स्थानीय जनता को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। तहसीलदार हल्द्वानी उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन होने के कारण कारण वन विभाग को क्रियाशाला के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार तहसीलदार हल्द्वानी द्वारा प्रस्तुत आख्या मूल में सलग्न कर इस अनुरोध से प्रेषित हैं कि मा. मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत क्रियाशाला निर्माण हेतु उल्लिखित भूमि में प्रस्ताव तैयार किये जाने वन विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(मनीष कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी,
हल्द्वानी।

आदेश

श्री संजय पाण्डेय जन सेवा समिति गौजाजाली हल्द्वानी के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2023 पर महोदय के पृष्ठाकन आदेश दिनांक 22.06.2023 का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम गौजाजाली बिचली तहसील हल्द्वानी में कियाशाला हेतु वन भूमि चिह्नित करने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में उपजिलाधिकारी हल्द्वानी से जांच कराई गई उनके द्वारा अपने पत्र संख्या 571/आर.ए.2022-23 दिनांक 08 जून, 2023 द्वारा ग्राम गौजाजाली बिचली तहसील हल्द्वानी मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत कियाशाला हेतु वन भूमि के संबंध में जन सेवा समिति गौजाजाली एवं वन भूमि जो एन.एच. से लगी वृक्ष विहीन भूमि है, को खोजा गया एवं स्थानीय वनाधिकारियों द्वारा इस भूमि की नाप की गयी। इस भूमि वन भूमि में अतिक्रमण होने से बचाव हेतु दीवार जैसा काम किया जा सकता है, जिससे इस योजना से लगभग 1500 स्थानीय घरों को लाभ प्राप्त होगा। उक्त उल्लिखित भूमि वन भूमि है जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण वन विभाग का है। उक्त कियाशाला के निर्माण से स्थानीय जनता को अत्याधिक लाभ प्राप्त होगा। उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी उक्त भूमि वन विभाग को स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन होना बताये है।

उक्त अनुरोध पत्र में उल्लिखित संयुक्त निरीक्षण आख्या हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल, को नामित किया जाता है।

अतः उक्त प्रकरण में एक सप्ताह के अन्तर्गत संयुक्त निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

दिनांक 22.06.2023

ह./-
(वन्दना)
जिलाधिकारी, नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक 334/12-ज्येड.ए.सी./2023-24

दिनांक 22 जून, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।
2. उपजिलाधिकारी हल्द्वानी
3. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल।

(शिव चरण द्विवेदी)
अपर जिलाधिकारी, (प्रशा.)
नैनीताल।



प्रेषक,

आयुक्त,
कुमारुं मण्डल,
नैनीताल।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

Adm/oc/2AC महत्वपूर्ण
Put-up with details

जिलाधिकारी
नैनीताल

कार्यालय जिला अधिकारी नैनीताल
कक्षा 466 दिनांक 30.6.23

संख्या: 1777 / तैतीस-03 / 2022-23,

दिनांक: 24 जून, 2023

विषय: हल्दूचौड़ व गौजाजाली में प्रस्तावित क्रियाशालाओं में लगायी गयी
आपत्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-1, उत्तराखण्ड, देहरादून के
पृष्ठांकन संख्या-VIP(M)/(A)269/XXXV-1/2023(2), दिनांक 13.06.2023 (छाया प्रति
संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

मा0विधायक, 56-विधान सभा, लालकुंआ द्वारा अवगत कराया गया है कि
विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लालकुंआ विधान सभा के हल्दूचौड़ एवं गौजाजाली में 0.126
हेक्टेयर भूमि पर एक-एक क्रियाशाला विगत तीन वर्षों से प्रस्तावित है, जिसमें विभाग
द्वारा लगायी गई आपत्तियों के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है तथा
जनहित में हल्दूचौड़ व गौजाजाली में प्रस्तावित क्रियाशालाओं का निर्माण कार्य शीघ्र
प्रारम्भ करवाने हेतु मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड से अनुरोध किया गया है। तदक्रम में मा0
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रकरण का तत्काल निस्तारण करवाने हेतु निर्देशित
किया गया है।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में तत्काल परीक्षण करवा कर संदर्भित प्रकरण
का निस्तारण कर कृत कार्यवाही से मा0मुख्यमंत्री कार्यालय एवं इस कार्यालय को
अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोक्त

भवदीय,

(दीपक रावत),

आयुक्त।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

G2C

श्रीलक्ष्मी वन परिसर, जेठ रोड, हीरापुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail: shilakshmi@rediffmail.com Phone: 05946-254309, Fax: 05946-254318

पत्रांक 185 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 11/7/2023

सेवा में

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

विषय:-

ग्राम-गौजाजाली बिचली तहसील हल्द्वानी मा.मुख्यमंत्री की घोषणा के अर्न्तगत क्रियाशाला हेतु स्थलीय निरीक्षण के संबन्ध में।

संदर्भ:-

आपका पत्रांक-334/12-ज्येड.ए.सी./2023-24 दिनांक-23.06.2023।

महोदया

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा ग्राम-गौजाजाली बिचली तहसील हल्द्वानी में मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अर्न्तगत क्रियाशाला के निर्माण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी हल्द्वानी, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड को नामित किया गया था।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव के लिये गौजाजाली में आंवला चौकी गेट-मुस्कान केन्द्र के समीप क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है० आरक्षित वन भूमि के लिये पूर्ण प्रस्ताव गठित कर परिवेश पोर्टल पर आर्नेलाईन (online no.FP/UK/Others/155392/2022) अपलोड किया गया था।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8वी/यू.सी.पी./09/08/2023/एफ.सी./1583 दि०-16.02.2023 के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निम्न प्रकार निर्देशित किया गया है:-

"On perusal of the proposal, It is found that the purpose of the project is not clear. State Govt. has not provided the justification regarding locating the project in the forest land. No efforts have been made to find an alternative land in non-forest area. Further, being a non-site-specific case, such infrastructures cannot be allowed in Reserve Forest Hence, the State Govt. is requested to explore non-forest land for the said purpose."

उक्त निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्रांक-5283/12-1 दिनांक-28.02.2023 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड नैनीताल को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित की गयी है।

अतः इस अनुरोध से प्रेषित कि प्रकरण में उचित निर्णय लेना चाहे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

ADML/04/2AC

Q

जिलाधिकारी

नैनीताल

कार्यालय जिला अधिकारी नैनीताल

पत्रांक 6096 दिनांक 13/07/23



AnyScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून - 248001
दूरभाष 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN, UTTARAKHAND
PHONE - 0135 2650809
FAX - 0135 2653010
Email - moef.ddn@gov.in

पर सं० 8 बी/यू.सी.पी./09/08/2023/एन.सी. 1583

दिनांक 16/02/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय: जनपद - नैनीताल के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र लालपुरजा के अंतर्गत गीजाजाली में आंबला वीकी गेट-मुन्कान केन्द्र के
समीप शिवाशाला संरक्षण स्थल के निर्माण हेतु 0.063 हे० वन भूमि का गैर वाणिज्यी कार्य हेतु प्रांतीय निम्नलिखित दिशानिर्देश
को प्रस्तावित। (online no. FP/UK/Others/155392/2022)

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के पर सं० 1675/
FP/UK/Others/155392/2022 दिनांक 12-01-2023
महोदय

उपरोक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में
निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयीं। राज्य सरकार निम्नलिखित किन्दुओं पर आवश्यक सूचनाएँ प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम
कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. On perusal of the proposal, it is found that the purpose of the project is not clear. State Govt. has not provided the justification regarding locating the project in the forest land. No efforts have been made to find an alternative land in non-forest area. Further, being a non-site-specific case, such infrastructures cannot be allowed on Reserve Forest. Hence, the State Govt. is requested to explore non-forest land for the said purpose.

भवदीय,

Received
24/02/2023

प्रतिलिपि सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

पत्रांक 185 /12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाएं प्रेषित।

1. वन संचालक परिचाली वृत्त, हल्द्वानी।
2. उपनिवेशाधिकारी हल्द्वानी।
3. अधिसारी अभियन्ता, राष्ट्रीय निर्माण विभाग प्रखण्ड, नैनीताल।



(संजीव कुमार)
प्रभागीय न.स.अधिकारी,
तराई पूर्ण वन प्रभाग, हल्द्वानी।